

अभिलेख बाद संख्या-

72/16-1/नम

बाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपत्रित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0नि0-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पत्रित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजदूरा खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणों की भूमि :-

मौजा- 10/351, थाना- 366, खाता संख्या- 2, प्लॉट संख्या- 329/1-
रकबा- एकड़ की भूमि जो गैरमजदूरा खास, अनाबाद बिहार 441/1
(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 441/2
के जिल्द संख्या- के पृष्ठ संख्या- 26 पर जमाबंदी रयत माथो माथे पिन 6392 4169
के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणों की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणों की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 7/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

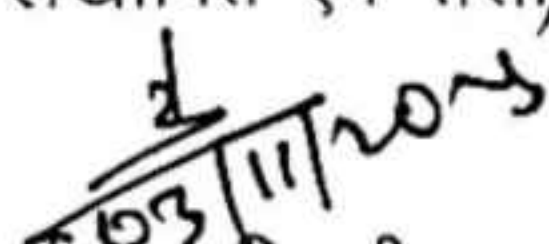
संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जांच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रयत का नाम :- **माधो यादव, 310 हीक्टर**
यादव 1600 मो. वी. वर
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
मौजा		2	329	0:62
			441	0:20
			442	0:12
				8094 एच.
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या पृष्ठ सं० पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 02:83
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :-
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- **SDO Smt/08**
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रयत का नाम :-
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनियमित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूदोवस्ती - 2021/02:83
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जांच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिह्त/बन्दोवस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
5	4488205	22/11/12	02:03:10.12

Chaman

आदेश की क्र०स० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
03/11/25	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा-नौडीहा में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं०-2, प्लॉट सं०- 329/1, 441/10, 442/11 कुल रकबा 0.94 ए० पर माधो यादव पिता हीबर यादव के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदा० सदर मेदिनीनगर के बंदोबस्ती वाद सं० 204/2002-03 के अन्तर्गत को मौजा-नौडीहा थाना नं०-346 के अंतर्गत उक्त खाता सं०-2, प्लॉट सं०- 329,441/10, 442/11 कुल रकबा 0.94 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत माधो यादव पिता हीबर यादव के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा नौडीहा के मांग पंजी II के पेज सं० 26/4 पर दर्ज होकर वर्ष 2003-12 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई <u>लगाय</u> की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, मनातू।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

शेका में, अचल आधिकारी
मनाहू, पलाहू ।

વિષય: - અવેદ્ય / સ્પેષાસ્પદ અમાવંશી કેશ ના
છા જાન્ય પ્રતિવેદન /

महाराष्ट्र

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कुल है कि
मौजा नौडिहा में जाकर राजस्व आगजात एवं नक्का
का मिळान करके अंगल अमीन के खान स्थलीय जॉन
मिली। जॉन में पाला कि जॉन खास खास खं 02
टलॉर खं 329/1, 441/10 कुल रुका 0.94 खं पर श्री
माधो यादव पिता के द्वारा जोर-बोड़ डिला जा रहा है।
उनके द्वारा जॉन के दौरान वन्दोवस्ती पर्चा एवं निर्गत
रखीद प्रस्तुत मिला गया है, जिससे पता चलता है कि
अनुमोल पदाधिकारी के वन्दोवस्ती वास खं 204/02-03
के अन्तर्गत दिनांक - के मौजा नौडिहा बाना नं
046 के अन्तर्गत इस खास खं 2 टलॉर खं 329, 441/10
रुका 0.94 खं की वन्दोवस्ती इस ईलाका माधो यादव
पिता हीवर यादव के नाम से हुआ है जिसका जमावन्दी
मौजा नौडिहा के मांग पंजी II के पेज नं 26/4 पर दर्ज
होकर वर्ष 2003-12 तक रखीद निर्गत हो रहा है। इस
प्रकार इस जमावन्दी ब्यवसायिक। अवैध प्रतीत नहीं होता
है।

अथ
अभावों से उत्पन्न जमावड़ी से बड़ेहास्यदा अपेक्षा
अभावों से उत्पन्न किया जा सकता है।

RF + C

दिश्या सुभाजन
- चरीर. ३ डी सि. ५
२००३० निरु

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय
वाद अभिलेख संख्या 72 /2016(अन्तर्गत धारा 4(h), BLR Act, 1950)
नोटिस

बनाम माधो मादव 5/0 टीकर पादव

श्री 10 - गाँव दे

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मैजा गाँव दे, थाना नं० 346
खाता नं० 02, खेसरा नं० 329 प्लकबा 0.94 से संबंधित आपके नाम से हो० नं०
पंजी भाग के पृष्ठ 442 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक
माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है ।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदो, फार्म
सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं त
साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूर्ष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं क
तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुचते हुए दर्ज जमाबंदी के
में युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी ।

इसे सख्त ताकिद जाने ।

तिथि :

मुहर

स्थान :

24/04/24
अंचल अधिकारी
अ. मनातू, पलास
मनातू, पलास